

29-05-18

पत्रावली पेश हुई। वकिल प्राची हाजिर संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम श्यामपुरा की जमाबंदी संवत् 2069-88 के खाता सं. नथा 101 मनभर बैवा रामकरण, रामदेव पुत्र रामकरण, शान्ता देवी पुत्री रामकरण, श्याकरण पुत्र वन्ना कोम जाट भाकसा सवगारी के नाम दर्ज हैं। रामकरण को रामकुंवार व रामकरण के नाम से जाना जाता है पटवारी हल्का नै रिपोर्ट में बताया अतः पटवारी रिपोर्ट के आधार रामकरण की जगह रामकुंवार इ-प्रज करने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार सरवाड़ दुस्स्ती की कार्यवाही करें।

आदेश अदालत सेवा केंद्र सूपा में सुनाया गया।

पुष्पा
सदस्य

लोक अदालत शिक्ति
सरवाड़ (अजमेर)

सदस्य

लोक अदालत शिक्ति
सरवाड़ (अजमेर)

अध्यक्ष

लोक अदालत शिक्ति
सरवाड़ (अजमेर)